

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 121/3/2001-2002

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुवीर विद्या निकेतन समिति

डूंडलौद

जिला

मुम्बई

का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।



यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 01/11 माह अक्टूबर सन् दो हजार एक

को मुम्बई में दिया गया।

[Signature]

रजिस्ट्रार संस्थानें  
रजिस्ट्रार संस्थानें

पन्ना (पृष्ठ)